सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-186/2022 दिनांक- 12-जुन-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बरदह

मुठभेड के दौरान अवैध पिस्टल , तमंचा व 96 पाउच देशी शराब तथा घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 12.06.22 को उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह का0 अनुपम सिंह का0 अभय प्रताप सिंह व हे0का0 पवन पाण्डेय के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग में मामूर होकर सरायमोहन में मौजूद थे कि तभी सूचना प्राप्त हुई कि दो -तीन लोग शराब की पेटी लेकर मोटर साइकिल से आये है इसहाकपुर पुलिया के पास मौजूद है। इस सूचना पुलिस टीम द्वारा इसहाकपुर पुलिया के पास पहुँचकर संदिग्ध लोगो को दोनो तरफ से घेर लिया अपने आपको घिरा देखकर उनमें से एक ने कहा कि हम लोग घिर चुके है अगर खुद को बचाना है तो पुलिस वालो को मार दो। घिरे संदिग्ध लोगो की तरफ से पुलिस टीम को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से एक के बाद एक दो फायर किया गया । पुलिस टीम द्वारा अपने को बचाते हुए हिकमत अमली का प्रयोग कर घेर कर तीन लोगो को पकड़ लिया गया।

जिनका क्रमशः नाम पता पूछकर जामा तलाशी लिया गया तो पहले ने अपना नाम **धीरज उर्फ अंगद वर्मा पुत्र भोलू वर्मा सा0 मन्दोपुर थाना चन्दवक जिला जौनपुर** बताया जिसकी जामा तलाशी लिया गया तो एक अदद पिस्टल 32 बोर ,एक खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ ।

दूसरे ने अपना नाम **विशाल यादव पुत्र सुरेश यादव सा0 केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़** बताया जिसके दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा 315 बोर ,एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

तीसरे ने अपना नाम **रजनीश राय पुत्र रामप्रकाश सा0 नीबी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़** बताया जिसके पास से एक अदद मो0सा0 बरंग काला सफेद रजि0 नम्बर UP 50 BC 0619 जिसपर 2 पेटी देशी शराब जिसमे 96 पाउच देशी शराब, जिसपर कजरारी देशी शराब तीब्र मसालेदार अंकित था बरामद हुआ ।

पकड़े गये ब्यक्तियो को उनके जुर्म धारा 307,34 ipc व 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 60 Ex Act से अवगत कराते हुए आज दिनांक 12.06.22 को समय करीब 01.50 बजे रात्रि हिरासत पुलिस में लिया गया ।

मौके पर मौजूद मो0सा0 UP 50 BC 0619 के कागजात तलब किये गये तो नही दिखा सका उक्त वाहन को अन्तर्गत एम0वी0 एक्ट सीज किया गया ।

पूछताछ का विवरण- बताया कि साहब पुलिस वालो से घिरा देखकर हमलोग खुद को बचाने के लिए फायर किये थे । हम लोगो का प्लान था कि पुलिस से सामना होने पर हम लोग उनको फायर करके डराकर भाग जायेगे इसलिए दोनो असलहो से एक के बाद एक फायर किया गया था। बदकिस्मति से पकड़ लिए गये है । शराब के बारे में पूछा गया तो बता रहे है कि साहब उपचुनाव होने वाला है तब शराब की दुकाने बन्द हो जायेंगी तब दाम बढ़ाकर बेचने के लिए हम लोग ठेके से शराब खरीद कर रख लेने का प्लान बना

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.धीरज उर्फ अंगद वर्मा पुत्र भोलू वर्मा सा0 मन्दोपुर थाना चन्दवक जिला जौनपुर

2.विशाल यादव पुत्र सुरेश यादव सा0 केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

3.रजनीश राय पुत्र रामप्रकाश सा0 नीबी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- एक अदद पिस्टल देशी 32 बोर व एक अदद खोखा 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

2- एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा 315 बोर

3- एक अदद मोटर साइकिल न0 – UP 50 BC 0619

4- 96 पाउच देशी शराब

ये थे। आज ले जा रहे थे कि पकड़े गये है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 -184/22 धारा 307,34 भा0द0वि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ

मु0अ0सं0 -185/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ

मु0अ0सं0 -186/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ

मु0अ0सं0 -187/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- धीरज उर्फ अंगद वर्मा –

मु0अ0सं0 219/18 धारा 363/366 भादवि थाना चन्दवक जौनपुर

अभियुक्त- रजनीश राय-

मु0अ0सं0 14/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बरदह आजमगढ

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भगत सिंह 0नि0उ)) चौकी इंचार्ज ठेकमा थाना बरदह जनपद आजमगढ
2. उ 0नि0विपिन कुमार सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ
3. हे पवन पाण्डेय चौकी ठेकमा 0का0थाना बरदह जनपद आजमगढ
4. का अनुपम सिंह 0चौकी ठेकमा थाना बरदह जनपद आजमगढ
5. का अभय प्रताप सिंह 0चौकी ठेकमा थाना बरदह जनपद आजमगढ
6. का शशिकुमार 0थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना- रानी की सराय

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.06.2022 को वादी थाना रानी की सराय जनद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रविन्द्र पुत्र कतवारू उर्फ कत्तल ग्राम सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने मेरी 09 वर्ष की पुत्री को पैसे का लालच देकर दुष्कर्म किया है। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/2022 धारा 376AB भा0द0वि0 व 5M/6 पाक्सों बनाम रविन्द्र पुत्र कतवारू उर्फ कत्तल ग्राम सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय हमराह उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह कां0 सुनील कुमार व कां0 शिवकुमार चौधरी द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2021 धारा 376AB भा0द0वि0 व 5M/6 पाक्सों में वांछित अभियुक्त रविन्द्र पुत्र कतवारू उर्फ कत्तल ग्राम सिरसाल थाना रानी की सराय जपनद आजमगढ़ को दिनांक 11.06.2022 को समय करीब 22.10 बजे सोनवारा अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी से एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। तमन्चा कारतूस के बरामदगी के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 182/2022 धारा 376AB भा0द0वि0 व 5M/6 पाक्सों एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 183/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

रविन्द्र पुत्र कतवारू उर्फ कत्तल ग्राम सिरसाल थाना रानी की सराय जपनद आजमगढ़

बरामदगी-

01 अदद तमन्चा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी , उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह , कां0 सुनील कुमार , कां0 शिवकुमार चौधरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़। ।

थाना सरायमीर

700 ग्राम गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.06.को 2022 उसंजय कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 0नि0 मय हमराह द्वारा अभियुक्त 1. राजबहादुर उर्फ श्याम बहादुर पुत्र लालधारी उर्फ राजधारी यादव निवासी खुटहना थाना निजामबाद जिला आजमगढ़ उम्र वर्ष को 25मुसहर बस्ती बहद ग्राम संजरपुर के पास से समय करीब 21. ग्राम नाजायज गांजा 700 बजे 05के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु117 0सं0अ0/8 धारा 2022/ 20एन डी पी एस एक्ट बनाम पंजीकृत कर अभियुक्त राजबहादुर उर्फ श्याम बहादुर पुत्र लालधारी उर्फ राजधारी यादव निवासी खुटहना थाना निजामबाद जिला आजमगढ़ को जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजबहादुर उर्फ श्याम बहादुर पुत्र लालधारी उर्फ राजधारी यादव निवासी खुटहना थाना निजामबाद जिला आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्त के कब्जे से 700 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 117/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट -थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. का0 ऋषभ शुक्ला थाना सरामयीर जनपद आजमगढ।
3. का0 इन्द्रजीत यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर

नाबालिग लड़की से छेड़खानी में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11/06/2022 को वादी मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा सूचना दिया कि अभियुक्त राजमन साहनी पुत्र विरेन्द्र साहनी निवासी तिवारी पट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने मेरी लडकी उम्र 11 वर्ष के साथ छेडखानी किया व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दिया। वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 366/2022 धारा 354,506 भादवि व 09/10 पोक्सो एक्ट व 3(2)5क 3(1) द 3(1) ध SC/ST ACT पंजीकृत है जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सगडी द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम मे

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 11/06/2022 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के कुशल नेतृत्व मे उ.नि. श्याम सिंह मय हमराह द्वारा मुखबीर खास के सूचना के अधार पर मु0 अ0 सं0 366/2022 धारा 354/506 भादवि, 9/10 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,ध 3(2)5क SC/ST ACT से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त राजमन साहनी पुत्र विरेन्द्र साहनी निवासी तिवारी पट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को अभियुक्त के घर से समय- 08.25 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0 अ0 सं0 366/2022 धारा 354/506भादवि, 9/10 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,ध 3(2)5क SC/ST ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

राजमन साहनी पुत्र विरेन्द्र साहनी निवासी तिवारी पट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ.नि. श्याम सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
2. का0 प्रवीन कुमार थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।
3. का0 अणर प्रसाद थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।

थाना-मेहनाजपुर

एक अदद तमंचा .315 बोर , एक अदद जिंदा कारतुस .315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 12.06.2022 को व0उ0नि0 मोती लाल पटेल मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान इटैली बाजार से आगे बढ़ने पर शाहपुर की तरफ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा शंका होने पर गाड़ी रोककर व्यक्ति को रोका/टोका गया तो पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगा हमराहियों कर्मचारियों की मदद से 50-60 कदम जाते-जाते नहर की पुलिया के पहले पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम आशीष यादव पुत्र सुरेश यादव R/O केदलीपुर थाना बरदह आजमगढ़ बताया जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद तमंचा .315 बोर , एक अदद जिंदा कारतुस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य धारा 3/25 A.Act का बोध कराकर समय 4.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. आशीष यादव पुत्र सुरेश यादव R/O केदलीपुर थाना बरदह आजमगढ़

विवरण बरामदगी :

एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतुस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग –

1. मु.अ.सं.76/2022 धारा 3/25 A. Act थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. व0उ0नि0 श्री मोती लाल पटेल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

2. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

3. का0 अजय यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

4.का0 जितेन्द्र प्रताप थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

थाना बिलरियागंज

02 वांछित अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार

आज दिनांक 12.06.2022 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 82/2022 धारा 147/148/149/452/323/504/506/308 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामवृक्ष पुत्र मंगरू व अभियुक्ता श्रीमती देवी पत्नी संतलाल निवासीगण ग्राम हरखपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को जैगहा बाजार तिराहा से समय करीब 06.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. रामवृक्ष पुत्र मंगरू सा0 हरखपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2. श्रीमती देवी पत्नी संतलाल सा0 हरखपुर थाना बिलरियागंज।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 82/22 धारा 147/148/149/323/308/452/504/506 भादवि थाना बिलरियागंज

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 धीरज त्रिपाठी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का0 अतुल सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
5. का0 तेज बहादुर सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
6. म0का0 स्वाती शुक्ला थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।